फर्द अहकाम

प्रभु बनाम जगदीश

न्यायालय दिल्ली

ख्या 11/77/23

क्र	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		आज दिनांक 10/7/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक गण द्वारा स्थगन कन्सेंटेंस/कार्य बहिष्कार/कार्यस्थगित [illegible] कारण, न्यायिक कार्यवाही [illegible] कारण, अन्य कार्य में व्यस्त/[illegible] अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31/7/24 को पेश हो।	
31/7/24		पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता प उप० मूलवाद के अनुक्रम में अपील सं० 5/1 बगा 7 के विरुद्ध रूपचन्द आदि वादी अपील में जारी जाती है। अपील सं० 1 ता प 5 वाद में का प्रभाव न देकर सीधे बहस हेतु निवेदन किया गया। बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीपात को संरक्षित बनाये रखना उचित समझते हैं अतः दिनांक 19/6/23 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को मूलवाद को कायम किया जाकर अपीलों को मूलवाद के निस्तारण तक जारिये अस्थायी निषेधाज्ञा के जाबेता किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीपात खाता सं० नया 651 के खसरा नंबर 6017, 6100, 6101, 6103, 6114, 6117, 6118, कुल किता 7 कुल रकबा 3.0600 हैक्टेयर वाके ग्राम बगरूकलां पटवार हल्का बगरूकलां ए व बी नू० म०नि० तो० बगरूकलां तह० सांगानेर जिला जयपुर स्थित के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31/7/24 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।	